11.29 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) TRANSFER OF HIGH COURT JUDGES BACK TO THEIR STATES

श्री निर्मल चन्द्र जैन (सिवनी) : अध्यक्ष महोदय, आपात स्थिति के दौरान उस कालिमा अवधि में जब लोग जेलों में बन्द कर दिये गये थे, जेलों में भारी असुविधाएं थीं और इस के बारे में बहुत जगहों पर उच्च न्यायालयों में याचिकाएं भी दायर की गई थीं । जबलपुर के उच्च न्यायालय में मैं ने भी एक याचिका दायर की थी जो अंशतः स्वीकार की गयी थी । हैबियस कारपस की भी बहुत सी याचिकाएं उच्च न्यायालयों में दाखिल की गई थीं । आठ हाई कोर्टस ने यह निर्णय दिया था कि उनके बारे में सुनवाई हो सकती है । बदला लेने की भावना से श्रीमती इंदिरा गांधी ने और खलनायक गोखले जी ने उच्च न्यायालयों के न्यायाधिपतियों का स्थानांतरण किया था । जब जनता सरकार शासन में आई तब विभिन्न अवसरों पर घोषणायें की गई कि जिन न्यायाधिपतियों को इस तरह से स्थानांतरित किया गया है उनको यह मौका दिया जाएगा कि वे चुनें कि वे अपनी जगहों पर वापिस जाना चाहते हैं अथवा नहीं । यह प्रश्न कई बार उठाया गया है । 5-4-77 को विधि मंत्री ने क्वेश्चन आवर में उत्तर दिया था कि सब जजों को यह स्वतंत्रता और मौका हम देना चाहते हैं। फिर 13 मई को प्रेस कान्फ्रेंस में भी उन्होंने इस बात को दोहराया था । इसके बाद 14 जून को श्री चन्द्र ने जो कि विधि मंत्री के स्थान पर उत्तर दे रहे थे कहा था :

7 Judges have requested for transfer

मेरा निवेदन है और आप से कहना है कि बहुत से न्यायाधिपति हैं जिन से पूछा तक नहीं गया है कि वे वापिस जाना चाहते हैं अथवा नहीं । जबलपुर के उच्च-न्यायालय में आंध्र प्रदेश से आए कुंडेया साहब से पूछा नहीं गया है । इसके कारण सीनियरिटी के मामले भी कुछ उलझे हुए है । निकट भविष्य में कुछ पदोन्नतियां होनी हैं और उन में भी रुकावट पैदा होने की सम्भावना है । मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जबलपुर उच्च न्यायालय के श्री आनन्द प्रकाश जी सैन ने फैसला दिया था सरकार के खिलाफ और उनको भी बदले की भावना से स्थानांतरित कर दिया गया था । कुंडेया साहब से पूछा नहीं गया है । सैन साहब की इच्छा है कि वे जबलपुर जाएं । लेकिन उनसे पूछा नहीं गया है । मैं चाहता हूं कि इस काम में शीघ्रता बरती जाए । 28 मई को बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह घोषणा की गई थी कि उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों से जिन का स्थानांतरण किया गया था पूछा जाएगा कि वे वापिस जाना चाहते है अथवा नहीं । मेरी विधि मंत्री जी से आपके तथा सदन के माध्यम से प्रार्थना है कि वह इसके बारे में त्वरित कार्रवाई करें और उन से पूछा जाए कि वे वापिस जाना चाहते है अथवा नहीं और जाना चाहते है तो उनको वापिस भेजने की व्यवस्था करें ।

(ii) DECISION OF THE GOVERNMENT TO SPLIT FERTILISER CORPORATION OF INDIA

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur): Mr. Speaker, Sir, I would like to raise an important issue. An announcement was made by the hon. Minister, Shri Bahuguna, for creating four units by splitting the FCI. This Corporation consists of several fertiliser companies and a sum of Rs. 700 crores have been invested into them. Some of them are not functioning and some of them are running into losses. So, effective steps are necessary for making these units viable. But instead of taking into consideration that aspect, Shri Bahuguna, hon. Minister of Chemicals and Fertilisers has come to the conclusion to split it. What will be the impact on